बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः यो0ब02/1–30/2018–25 आवंटन/यो0वि0,पटना,दिनांक 25 मार्च,2019

प्रेषक,

राजेश्वर प्रसाद सिंह,
सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद/गया/जमुई/लखीसराय ।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2018–19 में "अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता" हेतु प्रति जिला ₹13.33/– करोड़ (तेरह करोड़ तेतीस लाख) रूपये दर से कुल ₹53.32/– (तिरपन करोड़ बत्तीस लाख) रूपये मात्र की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या 143 स्वी0 दिनांक 20.03.2019 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 मे मुख्य शीर्ष–4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102–सामुदायिक विकास, उप शीर्ष–0203–एल0डब्लू0ई0 जिलो के लिए ए0सी0ए0, मॉग सं0–35, विपत्र कोड–35–4515001020203 के अंतर्गत विषय शीर्ष 5301–मुख्य निर्माण कार्य में **"अत्यधिक वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता" हेतु प्रति जिला ₹13.33/– करोड़ (तेरह करोड़ तेतीस लाख) रूपये के दर से** औरंगाबाद, गया, जमुई एवं लखीसराय जिला को **कुल ₹53.32/– (तिरपन करोड़ बत्तीस लाख) रूपये मात्र की राशि** आवंटित की जाती है।

2. आवंटित की जा रही राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे। प्रत्येक परिस्थिति में व्यय आवंटित राशि के अधीन रखा जाय। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. सबंधित जिला पदाधिकारी कोषागार से एकमुश्त राशि की निकासी कर राष्ट्रीयकृत बैंक मे अपने पदनाम से बचत खाता खोलकर उस राशि को रखेंगे। जिला पदाधिकारी इस कार्यक्रम के तहत आवंटित राशि के लिए खाता संधारण हेतु जिम्मेवार होंगे एवं उनके द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस योजना के तहत योजना के कार्यान्वयन हेतु चयनित कार्यकारी एजेंसी द्वारा आवंटित राशि के लिए अलग से खाता संधारण किया जाय।

4 जिलों को आवंटित राशि के विरूद्ध अर्जित सूद की राशि परियोजना/कार्यो पर व्यय नही कर राशि को भारत सरकार के संचित निधि GFR230(8) के तहत जमा किया जाएगा।

5. विमुक्त की जा रही राशि का उपयोग किसी नयी योजना की स्वीकृति के लिए नहीं किया जायेगा तथा इस राशि का उपयोग पूर्व से चल रही (On-going) योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु तथा पूर्ण की गयी योजनाओं के दायित्व संबंधी राशि के भुगतान के लिए किया जायेगा।

6. जिलो को आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय किए गए राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन जिला पदाधिकारियों के द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाएगा।

7. विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3291 दिनांक 06.07.2018 एवं स्वीकृत्यादेश संख्या 143 स्वी0 दिनांक 20.03.2019 के आलोक में नियमानुसार राशि का आहरण कर व्यय किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0ब02 / 1–30 / 2018–25 आवंटन / यो0वि0,पटना,दिनांक 25 मार्च,2019

प्रतिलिपि: महालेखाकार, (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटन को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0ब02 / 1–30 / 2018–25 आवंटन / यो0वि0,पटना,दिनांक 25 मार्च,2019

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक: यो0ब02 / 1–30 / 2018–25 आवंटन / यो0वि0,पटना,दिनांक 25 मार्च,2019

प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / आंतरिक वित्तीय सलाहकार / लेखाशाखा, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इस आवंटन को विभाग के साइट पर अपलोड करा दे एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी को विभागीय ई–मेल के माध्यम से भेज दें।

सरकार के अपर सचिव